मृत शरीर के साथ संभोग भारत में नहीं अपराध

अभिषेक सिंह शोधार्थी विधि

न संबंध के प्रावधान में किसी व्यक्ति को मृत शरीर के साथ संभोग करने के आरोप में दोषी ठहराने की धारा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल में यह कहते हुए केंद्र से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने को कहा है। इसके अलावा न्यायालय ने लाशों के साथ यौन संबंध के लिए अपराधीकरण और सजा प्रदान करने वाले नए प्रावधान लाने को भी निर्देश दिए है। केंद्र सरकार को धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए या मृत महिलाओं के खिलाफ नेक्रोफिलिया (मृत शरीर पर यौन हमला) या परपीडन के रूप में अलग प्रावधान पेश करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। जस्टिस बी वीरप्पा और वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने 30 मई को आदेश में कहा कि मृत व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की मृत्यू उपरांत भी उनके मृत देह की गरिमा के रूप में लेना चाहिए।

ऐसी बेइज्जती नहीं हो

न्यायालय ने मौजूदा मामले की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा अनुभव है कि समाचार पत्र मुआवजे या बेहतर सुविधाओं की मांग के समर्थन में लोगों की अवैध रूप से लाशों को सडक पर या पुलिस थानों के सामने रखने, घंटों तक यातायात बाधित करने की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। समाज को मृतकों का ऐसा अपमान नहीं करने देना चाहिए। राज्य को लोगों द्वारा उनके शलीन और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के लिए दुरुपयोग किए गए शवों को अपने कब्जे में लेना चाहिए।

धारा 375 या धारा 377 के तहत अपराध है?

न्यायालय ने सवाल करते हुए पूछा कि आरोपी ने शव के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 375 या धारा 377 के तहत एक अपराध है? न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने 30 मई को अपने फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 377 के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि मृत शरीर को मानव या व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 375 या 377 के प्रावधान में शामिल नहीं हो सकते। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं है। अधिक से अधिक, इसे परपीडन और नेक्रोफीलिया के रूप में माना जा सकता है।

नेक्रोफिलिया बीमारी क्या होती है?

यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित कई देशों के उदाहरणों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि नेक्रोफिलिया एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शख्स शवों के साथ यौन संबंध बनाता है। अपने फैसले में कहा कि यहीं सही समय है जब केंद्र सरकार आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। इसमें पुरुषों, महिलाओं या जानवरों के मृत शरीर को शामिल किया है।

सत्र न्यायालय ने आरोपी को ठहराया था दोषी

21 वर्षीय पीडिता के भाई ने अपनी बहन की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी। भाई ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन कंप्यूटर क्लास से वापस नहीं लौटी और घर के रास्ते में उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसका शव भी वहीं पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने आरोपी को घटना के एक हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया था। दोषी ठहराते हुए सत्र न्यायालय ने उसे धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसमें उसे धारा 376 के तहत यौन संबंध का दोषी पाते हुए 14 अगस्त, 2017 को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

आरोपी को दोषी ठहराना गलत

इसके बाद आरोपी ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की मामले की

सुनवाई खंडपीठ ने की। आरोपी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी का कार्य नेक्रोफीलिया के अलावा और कुछ नहीं है और उक्त अधिनियम के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए भारतीय दंड संहिता में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया लेकिन उसे यौन संबंध के आरोपों से बरी कर दिया।

आरोपी को किया बरी

उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत व्यक्ति को बरी कर दिया है। आरोपी पर महिला की हत्या और फिर उसके मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। घटना 25 जून 2015 की है और आरोपी तुमकुरु जिले के गांव का रहने वाला है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माना देने का आदेश दिया है।

सरकार को निर्देश

छह महीने के भीतर मृतकों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सरकारी और निजी मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें। मुर्दाघरों में स्वच्छता बनाए रखें और शवों को गरिमापूर्ण तरीके से संरक्षित करें। क्लिनिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखें और मृतकों से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा के लिए एक तंत्र रखें, विशेष रूप से एचआईवी और आत्महत्या के मामलों में। सुनिश्चित करें कि पोस्टमॉर्टम रूम आम जनता के लिए खुले नहीं हैं। समय—समय पर मुर्दाघर के कर्मचारियों के बीच शवों को संभालने के बारे में जागरूकता बढाएं।

भारत मे महिलाओं से बलात्कार से संबंधित कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में बलात्कार को स्पष्ट तौर पर भारतीय दंड संहिता में परिभाशित अपराध की श्रेणी में वर्ष 1960 में शामिल किया गया। उससे पहले इससे संबंधित कानून पूरे देश में अलग—अलग तथा विवादास्पद थे। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने के बाद भारतीय कानूनों के संहिताबद्ध करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके लिये ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा आपराधिक कानूनों को दो भागों में संहिताबद्ध करने का निर्णय लिया गया। इसका पहला भाग भारतीय दंड संहिता तथा दूसरा भाग दंड प्रक्रिया संहिता बना। भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से संबंधित नियमों को परिभाषित तथा संकलित किया गया। इसे अक्तूबर 1860 में अधिनियमित किया गया लेकिन 1 जनवरी, 1862 में लागू किया गया। आपराधिक न्यायालयों की स्थापना तथा किसी अपराध के परीक्षण एवं मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया तथा इसे एक दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई। धारा 376 के तहत बलात्कार जैसे अपराध के लिये न्यूनतम सात वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।

भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार की परिभाषा में निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं

किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध किया गया शारीरिक संबंध।

जब हत्या या चोट पहुँचाने का भय दिखाकर दबाव में संभोग के लिये किसी महिला की सहमति हासिल की गई हो।

18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के किया गया संभोग।

इसमें अपवाद के तौर पर किसी पुरुष द्वारा उसकी पत्नी के साथ किये गये संभोग, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो, को बलात्कार की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता है।

वर्ष 1972 का मामला

वर्ष 1860 के लगभग 100 वर्षों बाद तक बलात्कार तथा यौन हिंसा के कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुए लेकिन 26 मार्च, 1972 को महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में मथुरा नाम आदिवासी महिला के साथ पुलिस कस्टडी में हुए बलात्कार ने इन नियमों पर खासा असर डाला। सेशनकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्वीकार करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को बरीकर दिया कि उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन में संभोग हुआ था किंतु बलात्कार होने के कोई प्रमाण नहीं मिले थे और वह महिला यौन संबंधों की आदी थी। हालाँकि सेशन कोर्ट के इस फैसले के विपरीत उच्च न्यायालय ने आरोपियों के बरी होने के निर्णय को वापस ले लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए यह कहा कि इस मामले में बलात्कार के कोई

स्पष्ट प्रमाण नहीं उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिला के शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान मौजूद नहीं है जिसका अर्थ है कि तथाकथित संबंध उसकी मर्जी से स्थापित किये गए थे।

आपराधिक कानून में संशोधन

मथुरा मामले के बाद देश में बलात्कार से संबंधित कानूनों में तत्काल बदलाव को लेकर मांग तेज हो गई। इसके प्रत्युत्तर में आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 पारित किया गया।

इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में धारा 228 ए जोडी गई जिसमें कहा गया कि बलात्कार जैसे कुछ अपराधों में पीड़ित की पहचान गृप्त रखी जाए तथा ऐसा ना करने पर दंड का प्रावधान किया जाए।

वर्तमान में बलात्कार से संबंधित कानूनों की प्रकृति

दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए बलात्कार तथा हत्या के मामले के बाद देश में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया गया जिसने बलात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया तथा इसके अधीन दंड के प्रावधानों को कठोर किया।

इस अधिनियम में जिस्टिस जे. एस. वर्मा समिति के सुझावों को शामिल किया गया जिसे देष में आपराधिक कानुनों में सुधार तथा समीक्षा के लिये बनाया गया था। यौन हिंसा के मामलों में कारावास की अवधि को बढाया तथा उन मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया जिसमें पीड़ित की मौत हो या उसकी अवस्था मृतप्राय हो जाए। इसके तहत कुछ नए प्रावधान भी शामिल किये गए जिसमें आपराधिक इरादे से बलपूर्वक किसी महिला के कपड़े उतारना, यौन संकेत देना तथा पीछा करना आदि शामिल हैं।

सामृहिक बलात्कार के मामले में सजा को 10 वर्ष से बढाकर 20 वर्ष या आजीवन कारावास कर दिया गया।

इस अधिनियम द्वारा अवांछनीय शारीरिक स्पर्श, शब्द या संकेत तथा यौन अनुग्रह करने की मांग करना आदि को भी यौन अपराध में शामिल किया गया।

इसके तहत किसी लड़की का पीछा करने पर तीन वर्ष की सजा तथा एसिड अटैक के मामले में सजा को दस वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

नाबालिगों के मामले में कानून

जनवरी 2018 में जम्मू-कश्मीर के कदुआ में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए अपहरण, सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के मामले के बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई।

इसके बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया जिसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की किसी बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा।

इसके तहत में एक नया प्रावधान भी जोडा गया जिसके द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ हुए बलात्कार के लिये न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा के प्रावधान को सात वर्ष से बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है।

विदेशों में क्या है कानून

यूनाइटेड किंगडम में, यौन अपराध अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत जानबूझकर या लापरवाही से शव के साथ संबंध बनाने पर आरोपी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. कनाडा में आपराधिक संहिता. 1985 की धारा 182 नेक्रोफिलिया को दंडनीय बनाती है। वहीं कनाडा में सजा पांच साल तक की सजा और दक्षिण अफ्रीका में आपराधिक कानून (यौन अपराध और संबंधित मामले) संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा 14 नेक्रोफीलिया पर रोप लगाती है ।

नेक्रोफिलिया पर भारत का कानून

नेक्रोफिलिया एक अपराध तो है लेकिन भारतीय दंड संहिता में इसकी सजा नहीं दी गयी है। अभी तक नेक्रोफिलिया को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि, कुछ केस में आईपीसी सेक्शन 297 लगाया जाता है लेकिन इनमें भी नेक्रोफिलिया पर स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा गया है। आईपीसी सेक्शन 297 के अनुसार अगर कोई किसी इंसान की भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा से धर्म का अपमान करने के लिए शमशान या कब्रिस्तान (लाश की खुदाई या लाश से गलत हरकत करना) में घुसता है, जबकि उस संबंधित शख्स को पता है कि उसके कार्य से किसी को ठेस पहुंचेगी तो इसे अपराध माना जाएगा।